न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ,

पिठासिन अधिकारी— चन्द्रशेखर, भण्डारी
(आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 66ए/2022 प्रा0पत्र

सुशीला देवी पत्नी गोविन्द जी जाति गौरवा आयु वयस्क, निवासी गोपी तलाब जिला द्वारका जामनगर गुजरात।

.........प्रार्थी

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)।

.......विपक्षी

निर्णय धारा 136 एल0आर0 एक्ट,

मु0 नं0 66ए/2022 प्रा0पत्र
निर्णय दि0 :— 13.06.2022

उपस्थिति :— प्रार्थी अधिवक्ता कौशल भराड़िया।
विपक्षी पेरोकार सरकार स्वयं।

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी की वाके मौजा सगवाडिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 176 की आराजी नम्बर 71 रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि स्थित है, उक्त आराजी नम्बर कि साबिक सेटलमेंट नम्बर 376/12 थे जो मूल आंवटी को आवंटन के माध्यम से आवंटित कर साबिक आराजी नम्बर 176 मीन में आधिपत्य सुपूर्द किया गया, बाद में प्रार्थीया ने उक्त कृषि भूमि को कय कर खरीद लिया एवं आधिपत्य भी प्राप्त कर लिया परन्तु नवीन राजस्व भू प्रबंध लागू होने के बाद प्रार्थीया की आधिपत्य की भूमि को आराजी नम्बर 71 की जगह आराजी नम्बर 344 व 332 दर्शा दिया जिसे नवीन भू प्रबंध लागू होने के बाद भू प्रबंध कर्मिकों व राजस्व कर्मचारियों ने गलत तरीके से नक्शे में गलत जगह पैमूद कर दी, जिसकी दुरूस्ती हेतू प्रार्थी ने कई मरतबा विपक्षी को मौखिक रूप से कहा, परन्तु उन्होनें कोई कार्यवाही नहीं की, इसलिये यह आवेदन

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

पत्र बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती हेतू पेश किया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी से इस संबंध में जवाब मय रिपोर्ट तलब किया गया, विपक्षी उपस्थित आये जिन्होनें उक्त पत्रावली में प्रार्थी के कथनों की ताईद की एवं भू प्रबंध कर्मिकों की गलती को स्वीकार किया, एवं प्रस्तावित नक्शा भी अपने जवाब एवं रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई, जिन्होनें अपनी बहस में उपर वर्णित सभी कथनों को दौहराया एवं आवेदन पत्र स्वीकार करने बाबत् निवेदन किया, जिस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अध्यन किया गया। रेकार्ड एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि मौजा सगवाडिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 176 की आराजी नम्बर 71 रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि को नवीन आराजी नम्बर 344 रकबा 0.21 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 332 के कुलिया रकबे 1.35 हैक्टेयर में से रकबा 1.05 हैक्टेयर भूमि तक प्रार्थीया की खातेदारी में, संलग्न नक्शे अनुसार दर्ज किया जावें एवं खाता संख्या 176 की आराजी नम्बर 71 रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि को चारागाह में निम्नानुसार दर्ज किया जावें–

क्र. सं.	वर्तमान में दर्ज			प्रस्तावित प्रविष्ठी		
	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा
1	सुशीला देवी पत्नी गोविन्द गोरवा निवासी गोपीतालाब	71	1.26	सुशीला देवी पत्नी गोविन्द गोरवा निवासी गोपीतालाब	332 344	1.05 0.21
2	चारागाह	332 344	1.35 0.21	चारागाह	71 332	1.26 0.30

इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा